

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2025/482/06

रीवा, दिनांक 18/2/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेशविश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत कलासंकाय अन्तर्गत पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. रिक्त

28(2) दो

1. डॉ. एस.पी. सिंह
विभागाध्यक्ष, पुस्तक एवं सूचना विज्ञान विभाग,
शास. ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

2. रिक्त

28(2) तीन

1. रिक्त

28(2) चार

1. रिक्त

2. रिक्त

28(2) पाँच

1. डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी
श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, जिला रीवा (म.प्र.)

2. डॉ. प्रवेश तिवारी
श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, जिला रीवा (म.प्र.)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ. एस.पी. सिंह को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, कला संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)